न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1084/तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28.11.2002 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 63/2001–02 अपील

ओमप्रकाश पुत्र छोटेलाल बोहरे
ग्राम कलारना तहसील व जिला
श्योपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

चिष्द्ध

1– महिला धूड्डी मृतक पत्नि स्व.ग्यारसा
निवासी ग्राम कलारना तहसील श्योपुर
(वारिसान)

(1) श्रीमती पाना पुत्र स्व.ग्यारसा
पत्नि काडूलाल जाटव निवासी
ग्राम जौरा बरपुरा जिला कोटा

(2) श्रीमती फूसी पुत्री स्व. ग्यारसा
पत्नि किशना जाटव निवासी ग्राम
नानपुर तहसील व जिला श्योपुर

(3) श्रीमती नंदी पुत्री स्व.ग्यारसा
पत्नि गंगाधर जाटव निवासी ग्राम
जारेला तहसील व जिला श्योपुर ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री उमेश बोहरे)

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 3 –2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 63/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–11–02 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार

श्योपुर कलॉ के समक्ष आवेदन देकर बताया कि ग्राम बर्धा बुजुर्ग स्थित भूमि सर्वे नंबर 621 रकबा 11 वीघा 5 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) मौके पर पड़त पड़ी थी, जिस पर पिछले 7-8 साल से हल बैलों से जुताई करके खेती करता आ रहा है इसलिये राजस्व कागजात में अनावेदकगण के बजाय उसके नाम की जावे। तहसीलदार श्योपुर ने प्रकरण कमांक 9/1991-92 अ 6 अ पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 11-5-1992 पारित करके आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में अधिपति कृषक दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील कमांक 49/1998-99 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29-11-2001 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश 11-5-1992 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 63/2001-02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-11-02 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, किन्तु उन्होंने अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का आग्रह किया , फिर भी अपेक्षा की गई कि यदि वह 10 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कर सकते है, किंतु लेखी बहस नहीं आने से प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जा रहा है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी अनावेदकगण के नाम के बजाय आवेदक ने स्वयं के नाम इन्द्राज करने का आवेदन दिया है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व

संहिता 1959 की धारा 115 एंव 116 के अंतर्गत है जबकि संहिता की इन धाराओं के अधीन शासकीय अभिलेख में धोखे से अथवा अपलेखन हुई त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि को दुरूस्त करने का प्रावधान है। आवेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत मूल दावे का पद 3 इस प्रकार है:-

" यहकि प्रार्थी गश्त के समय प्रतिवर्ष पटवारी मौजा को वाद भूमि में स्थित फसल जो कि प्रार्थी व्दारा बोई व काटी जाती है पर प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में करने विषयक कहा किन्तु पटवारी ने प्रार्थी के नाम का इन्द्राज नहीं किया न तहसील में कब्जे की रिपोर्ट की "

आवेदक ने मूल दावे के अंत में मांग की है कि " अतएव आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय प्रार्थना है कि प्रार्थी का नाम वाद भूमि पर आधिपत्यधारी के रूप में राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु पटवारी को निर्देश देने की कृपा करें। "

इसी आवेदन पर सुनवाई कर तहसीलदार ने आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि के खसरे में अधिपति कृषक के रूप में अंकित करने के आदेश दिये हैं। विचार योग्य है कि क्या संहिता की धारा 115 एंव 116 के अंतर्गत किसी भूमिस्वामी की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को अधिपति कृषक घोषित कर खसरे में प्रविष्टि कराई जा सकती है? संहिता की धारा 115 एंव 116 के अंतर्गत अधिपति कृषक का वाद विचार योग्य नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है। वाद विचारित भूमि को लेकर आवेदक एंव अनावेदकगण के बीच माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 श्योपुर के न्यायालय में स्वत्व विवाद चला है जिसमें आवेदक अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहा है और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय गया है जहां से द्वित्तीय अपील कमांक 402/06 में भी आदेश दिनांक 1-8-2008 से हुये निर्णय अनुसार आवेदक की अपील निरस्त हुई है । माननीय

व्यवहार न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर व्दारा अपील कमांक 49/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 29-11-2001 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 63/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-02 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 63/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-02 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिह)
सदस्य
राजस्व मंडल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर